

286  
29

कोई उपस्थित नहीं। सब देरी विना  
11.6.24 से 21.6.24 को ही उपस्थित नहीं  
आये। अपीलकर्ता एवं उनके वकील को  
बाद-बाद आवान्त लावा गी कोर्ट कार्यालय  
जवाब नहीं आया ना ही कोई उपस्थित  
आया। अतः अपील अपीलकर्ता अथवा  
दोषी व अथवा देरी को उपस्थित  
ही नहीं है। अतः अथवा अथवा  
दोषी लायित हटा हो।



**समाप्तधिकारी**  
भोलपुर (सजो)